सँख्या : 50 /XXIV-3/2006

प्रेषक

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 06 फरवरी,2006

विषयः राजकीय इण्टर कालेज खण्डाह, पौड़ी के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणनों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन–4/34246/अधूरे भवन/2005–06 दिनॉक 29–9–2005 एवं नियोजन–4/51996/अधूरे भवनों का निर्माण /2005–06 दिनॉक 13–01–2006 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्याः 127/माध्यमिक/2001 दिनॉक 21–12–2001 के द्वारा रा0इ0का0 खण्डाह के आवासीय भवन के निर्माण हेतु मूल आगणन रू0 57.77 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भवन में कतिपय कार्य कराने हेतु उक्त निर्माण कार्य की लागत पुनरीक्षित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय राजकीय इण्टर कालेज खण्डाह, पौड़ी के निर्माणाधीन आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी द्वारा ऑकलित पुनरीक्षित आगणनों की लागत रू0 78.70 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 57.77 लाख को समायोजित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में देय अवशेष धनराशि रू0 19.08 लाख (रूपये उन्नीस लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्याः 630/ XXIV-2/2005 दिनॉक 29–4–2005 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 233.12 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव रो ली गई हो,

की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)– उक्त कार्य की लागत किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

(3)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5)– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(6)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(7)– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(8)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(9)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक– 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा– 202–माध्यमिक शिक्षा– आयोजनागत– 91– जिला योजना – 9102– राजकीय उ0मा0विद्यालयों/ इण्टर कालेजों–बालक/बालिका के अधूरे भवनों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था – 24– वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 744/ वित्त अनु0—3/05 दिनाँक 1—2—2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः 50 (1)/XXIV-3/2006 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,उत्तरॉचल, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल— पौड़ी।
5— अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल—पौड़ी।
6— जिलाधिकारी, पौड़ी।
7— कोषाधिकारी, पौडी।
8— जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी ।
9— वित्त अनुभाग—3 /नियोजन प्रकोष्ठ।
10— बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
11— संबंधित निर्माण एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम।
12— कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
13— एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव